



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2072/2026
URN: CMA / 3577U / 2026

Jalal Kathat S/o Tamma Kathat, Aged 39 Years, R/o Village
Chitar Badiya Dholadata, Police Station Sendra, District Beawar
----Appellant/Claimant

Versus

1. Bharat Singh S/o Sohan Singh, R/o Haathibhata Chitar,
Tehsil Raipur, District Beawar, Driver Of Vehicle Scooter
No. RJ-36-SS-3106
2. Vijay Singh S/o Mitthu Singh, R/o Haathibhata Chitar,
Tehsil Raipur, District Beawar, Owner Of Vehicle Scooter
No. RJ-36-SS-3106
3. The New India Insurance Company Limited, Khailand
Market Ajmer, Insurance Company, Insurance Policy
Number 33140731221800006115 Insured From Dated
08.02.2023 Till 07.02.2024 Insurance Company Of
Vehicle Scooter No. RJ-36-SS-3106

----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Rahul Singh Meratwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Tomar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

09/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, ब्यावर, जिला ब्यावर) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-168/2023, बउनवान जलाल काठात बनाम भरत सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2026 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी जलाल काठात द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,09,60,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान



अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 1,13,340/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए उसकी मासिक आय 7,410/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि अपीलार्थी की आय 30 दिवस की मजदूरी के आधार निर्धारित की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अपीलार्थी ड्राईवर का कार्य कर प्रतिमाह 30,000/- रुपये की आय अर्जित करता था। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 18.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता कारित होना बताया गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 05 प्रतिशत आंका जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित आय पर 40 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि कर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में कोई समुचित राशि नहीं दिलवाई गयी है तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा व्यक्त किया गया कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की जो स्थाई निर्योग्यता निर्धारित की गई है, वह सही है, उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने व अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।



5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 18.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."



7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.05.2023 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को ड्राइवर का कार्य कर प्रतिमाह 30,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा स्वयं की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए अपीलार्थी की आय 7,410/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जबकि अपीलार्थी की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अपीलार्थी को ड्राइवर का कार्य करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रदर्श-57 पत्रावली पर पेश की गई है। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि तथा अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर अपीलार्थी दैनिक आय 309/- रुपये, तदनुसार **मासिक आय 309 x 30 = 9,270/- रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 39 वर्ष आयु का होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति में अंकित जन्मतिथि 09.02.1983 के अनुसार वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 40 वर्ष 03 माह होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 40 वर्ष निर्धारित की जाकर उसकी आय पर 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि कर त्रुटि कारित की है। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 40 वर्ष से तो अधिक थी, किन्तु अपीलार्थी पूर्ण रूप से 41 वर्ष आयु का नहीं हुआ था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **M.H. Uma Maheshwari & Ors. Vs. United India Insurance Co. Ltd. & Anr.** reported in **2020 (2) R.A.R. 185 (SC)** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :-



"9. The Tribunal, by recording a finding that the deceased was in the age group of 40 to 50 years, applied the multiplier of 13 while calculating the compensation. The High Court, curiously while maintaining the multiplier of 13 as per the judgment of this Court in compensation only on the ground that the deceased was aged 50 years 3 months on the date of the accident, as such the compensation is to be calculated on account of loss of dependency by granting future prospects at 15% but not 30%. So far as the application of multiplier of 13 by the Tribunal is concerned, the High Court has not interfered with the same. When the age of the deceased was considered in the group of 40 to 50 years, we are of the view that the High Court has committed error in granting only 15% towards future prospects instead of 30%. As per the judgments of this Court, primarily the age group is to be considered. Considering the age group as 40 to 50 years, when the multiplier of 13 is maintained by the High Court, there is no reason or justification for reducing the compensation by granting 15% towards future prospects. Though the learned counsel appearing for Respondent 1 Insurance Company has submitted that the compensation towards future prospects was awarded as per the Constitution Bench judgment of this Court in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi³ but at the same time it is to be noticed that in the very same judgment in para 59.3, while considering the grant of future prospects, this Court has specifically said that the addition should be 30% if the age of the deceased was in the age group of 40 to 50 years. For application of multiplier, the High Court has also accepted the age group of the deceased between 40 and 50 years. In that view of the matter, there is no reason for reducing the compensation by granting future prospects at 15% only."

8. ऐसी स्थिति में नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 तथा एम.एच. उमा महेश्वरी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 9,270/- रुपये में 40



प्रतिशत अर्थात् 3,708/- रुपये की बढ़ोतरी करते हुए अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 12,978/- रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है तथा अपीलार्थी के बाएं पैर में अस्थि भंग की गंभीर चोट कारित होना बताया गया है, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 18.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित हुई 18.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 05 प्रतिशत आंका गया है।

10. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276**, के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"9. The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

11. इस प्रकार **प्रकाश चंद शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में संदेह हो तो वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता है। अन्यथा ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता



प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।

12. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 राजकीय चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत होते हुए अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 में दर्शायी गयी 18.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में भी 18.3 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। अपीलार्थी को कारित हुई 18.3 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 18.3 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 12,978/- रुपये का 18.3 प्रतिशत 2,375/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 40 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी. सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $2,375 \times 12 \times 15 = 4,27,500/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 20,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है, जो कम है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 40,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, 40,000/- रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को यातायात व परिवहन, पौष्टिक आहार व परिचारक/सहायक की मदों में एकमुश्त 10,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम है। उपरोक्त मदों में हम पृथक-पृथक राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा अपीलार्थी को इलाज हेतु अस्पताल आना-जाना भी पड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 10,000/— रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में 5,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. मामले की दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी दिनांक 10.05.2023 से 12.05.2023 तक, कुल 03 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त मद में कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। अतः 03 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में हम 600/— रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 1,800/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। यह स्वभाविक है कि मामले की दुर्घटना में कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब दो माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम, इलाजरत अवधि के दौरान हुई दो माह की आय की हानि के मद में $9,270 \times 2 = 18,540$ /— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को उसके इलाज पर व्यय की गई राशि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा इलाज के संबंध में मेडिकल बिल्स पत्रावली पर पेश किये गये हैं, जिनकी कुल राशि 59,691/— रुपये पूर्णांक में 59,700/— रुपये होती है। अतः इलाज के दौरान व्यय की गई राशि के मद में मेडिकल बिलों के आधार पर हम, 59,700/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



19. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	4,27,500 /—
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	40,000 /—
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	40,000 /—
4.	पौष्टिक आहार की मद में	10,000 /—
5.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000 /—
6.	03 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	1,800 /—
7.	इलाजरत अवधि के दौरान हुई 02 माह आय की हानि के मद में	18,540 /—
8.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	59,700 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		6,02,540 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि		1,13,340 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		4,89,200 /—

20. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **1,13,340 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **6,02,540 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

21. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

22. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

23. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

24. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J